डिक्री

ालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम चौधरी आर.ए.एस.

ं0 – 287 / 2025

ान :

1. औमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. इन्द्रा पत्नी स्व0 धनपत पुत्र लालचन्द जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. किताबो पुत्री लालचन्द जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. धापां पुत्री लालचन्द जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. बुगली उर्फ बिमला पुत्री लालचंद जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. बादो उर्फ सुमन पुत्री लालचंद जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. कृष्ण.पुत्र धनपत पुत्र लालचंद जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. अरूण पुत्र धनपत जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. पुजा पुत्री धनपत जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. रेखा पुत्री धनपत जाति धानक निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष ील वादी श्री भानुप्रताप बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत वैनीवाल की उपस्थिति निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा जाती है कि रोही मोजा चक 6 जीजीएम के खाता सं0 9 / 11 के मु0 न0 102 के किला न0 13, 14, 15 कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी भूमि में वादी औमप्रकाश का 1 / 8 हिस्सा, तिवादी सं0 1 किताबों का 1 / 8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 धापां का 1 / 8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 बुगली का 1 / 8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 बादो का 1 / 8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 ता 8 क्रमशः ृष्ण, अरूण, पुजा, रेखा पि0 धनपत के पूर्वज धनपत के नाम 1 / 8 हिस्सा, मृतक वाला का /8 हिस्सा, मृतक चावली का 1 / 8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरौक्त वादभूमि में से तिवादी सं0 1 किताबो पुत्री लालचंद, प्रतिवादी सं0 2 धापां पुत्री लालचंद, प्रतिवादी सं0 3 ुगली पुत्री लालचंद, प्रतिवादी सं0 4 बादो पुत्री लालचंद, मृतक बाला पुत्री लालचन्द व मृतक ावली पत्नी लालचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 औमप्रकाश पुत्र लालचन्द, ादी सं0 2 इन्द्रा पत्नी स्व0 धनपत को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/5/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(भागीरथ राम चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़